**न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ**

**पीठासीन अधिकारी :– हरभान मीणा, आर.ए.एस**

अपील संख्या –61/2014/225 आर टी ए

1. रामस्वरूप पुत्र स्व. पतराम जाति जाट निवासी डबली बास पेमा तहसील व जिला हनुमानगढ़।
2. रामकुमार पुत्र स्व. पतराम फौत०

2/1 महेन्द्र देवी पत्नि स्व. रामकुमार जाति जाट निवासी डबली बास पेमा तहसील व जिला हनुमानगढ़।

2/2 सुद्गीला देवी पुत्री स्व. रामकुमार जाति जाट निवासी डबली बास पेमा तहसील व जिला हनुमानगढ़।

2/3 सरीता देवी पुत्री स्व. रामकुमार जाति जाट निवासी डबली बास पेमा तहसील व जिला हनुमानगढ़।

2/4 सुन्दरपाल पुत्र स्व. रामकुमार जाति जाट निवासी डबली बास पेमा तहसील व जिला हनुमानगढ़।

–––अपीलांटस

बनाम

1. लक्ष्मीदेवी पुत्री स्व. पतराम० धर्मपत्नि महेन्द्र सिंह जाति जाट निवासी डूंगरसिंहपुरा तहसील सादुलद्गाहर जिला श्रीगंगानगर।
2. तहसीलदार राजस्व० हनुमानगढ़।

–––रेस्पोण्ट्स

अपील विरूद्ध निर्णय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी राजस्व० हनुमानगढ़

दिनांक 26.05.2017 प्रकरण संख्या 100/2009

उपस्थित :–

श्री राजीव कुलश्रेष्ठ अधिवक्ता अपीलाण्ट

श्री लालचन्द वर्मा अधिवक्ता रेस्पाडेण्ट की ओर से

निर्णय दिनांकः–2811.2017

1. प्रकरण में संक्षेप में तथ्य निम्न प्रकार है कि रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष धारा 212 राज. काद्दत. अधीनियम में एक प्रार्थना–पत्र पेद्गा किया। प्रार्थना–पत्र में चक 15 जेआरके की 23 बीघा भूमि को ताफैसला दावा कुर्क कर इस भूमि पर रिसीवर नियुक्त करने एवं प्रद्गनगत कृषि भूमि को किसी भी प्रकार से रहन बैय व मुन्तकिल नहीं करने का अनुतोष मांगा। उपखण्ड अधिकारी ने अपने निर्णय दिनांक 26.05.2014 के द्वारा प्रद्गनगत भूमि को कुर्क कर तहसीलदार हनुमानगढ़ को रिसीवर नियुक्त करने के आदेद्गा दिये। जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेद्गा की है।

2. उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने केवल मात्र नामान्तरण अपीलार्थीगण के पक्ष होने के आधार पर रिसीवर नियुक्त करने के आदेश प्रदान किये गये हैं जा कतई विधि विरूद्ध आदेश है। पतराम की कृषि भूमि का विरास्तन इन्तकाल दर्ज हुआ है जिसके अनुसार प्रत्यर्थी सं0 1 लक्ष्मी देवी का भी 1/4 हिस्सा दर्ज है। जिस पर वह काबिज है। लक्ष्मी देवी द्वारा दिनांक 15.05.1999 के अधार पर स्वयं को खातेदार काश्तकार घोषित करवाने हेतु प्रस्तुत किया गया है जबकि अपीलार्थीगण को इस वसीयत की जानकारी होने के तुरन्त बाद उनके द्वारा वसीयत को सक्षम सिविल नयायालय में चुनौती दी गई है जो ग्राम न्यायायल में विचाराधीन है। राजस्व न्यायालय में इस वसीयत के आधार पर खातेदारी नहीं चाही गई हैं। वसीयत कूटरचित एवं मिथ्या है। अपीलाट द्वारा उक्त भूमि को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जा रहा है। रिसीवर नियुक्त करने के लिए विशेष परिस्थितियों का होना आवश्यक है। प्रश्नगत भूमि मुश्तर्का खाता की भूमि है जिस पर काननून विशिष्ट किलाजात को रिसीवर नियुक्त नहीं किया जा सकता। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय निरस्त फरमाया जावे। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आरआरटी 2011 पेज 84, आरआरटी 2017 पेज 264 के न्यायिक दृष्टान्त पेश किये।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रश्नगत भूमि पर वसीयत के आधार पर खातेदार काश्तकार है। वसीयत के होते अप्रार्थीगण के द्वारा विरासतन इन्तकाल दर्ज करवाया गया है वह रेस्पोडेण्ट के हितो के विरूद्ध है। प्रश्नगत भूमि अप्रार्थीगण के पास होने पर उक्त गलत प्रविष्टि का गलत फायदा उठते हुए दीगर लोागें को बैय व मुन्तकिल कर सकते हैं तथा उक्त भूमि पर लवणयुक्त एवं रासायनिक पदार्थ डालकर उक्त भूमि की उर्वरा शक्ति को क्षीण कर सकते हैं। विवादित भूमि इन मिडीयो होने के कारण ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रिसीवर की गई है। अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय विधि सम्मत है, अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आरआरडी 1988 पेज 183, आरआरडी 1989 पेज 226, आरआरटी 2012 1० पेज 208, आरबीजे 2008 पेज 184, आरआरडी 2005 पेज 196, आरआरटी 2007 1० पेज 566, आरआरडी 1995 पेज 654, डीएनजे 2014 पेज 152, आरआरडी 2013 पेज 482 के न्यायिक दृष्टान्त पेश किये।

5. उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

6. प्रश्नगत भूमि अपीलाण्ट के पिता पतराम के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी। पतराम ने कुल 23 बीघा भूमि में से 11.10 बीघा भूमि की वसीयत 15.05.1999 को रेस्पोडेण्ट के नाम दर्ज करने का कथन आया है। लेकिन पतराम की मृत्यु होने के उपरान्त अपीलाण्ट ने प्रश्नगत समस्त 23 बीघा भूमि का विरास्तन इन्तकाल अपने नाम दर्ज करवा लिया है, जिसके अनुसार वादग्रस्त भूमि पतराम के समस्त वारिसान शांतिदेवी पत्नि पतराम, रामस्वरूप, लक्ष्मीदेवी पि. पतराम के नाम बहिस्सा बराबर दर्ज हुई। जिसके कारण रेस्पोडेण्ट के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करने पर प्रश्नगत समस्त भूमि को रिसीवर के आदेश दिये हैं। दौराने बहस उभय पक्ष के अधिवक्तागण

द्वारा कथन किया गया कि शांतिदेवी पत्नि पतराम की मृत्यु हो चुकी है, जिसके कारण वादग्रस्त भूमि मे स्व. पतराम के तीन वारिसान दो पुत्र एवं एक पुत्री है। यदि वसीयत को ना भी माना जावे तो भी रेस्पोडेण्ट संख्या 1 का इस भूमि में मात्र 1/3 हिस्सा निहित है। इस न्यायालय के मतानुसार समस्त भूमि को रिसिवर किया जाना उचित नही है। अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त आरडी 1988 पेज 183 एवं आरआरटी 1989 पेज 226 के अनुसार पजेद्दान के आधार पर प्रोपर्टी इन मीडियो नहीं मानी जा सकती अपितु जहां टाइटल इन मीडियो हो तब प्रोपर्टी इन मीडियो मानी जा सकती है। उभयपक्षों के हकों का निर्धारण अधीनस्थ न्यायालय में मूल वाद में किया जाना है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रद्दनगत भूमि को रिसीवर किया जाना विधि सम्मत नही है। उभय पक्षों के हितों को सुरक्षित रखने हेतु प्रद्दनगत भूमि को रिसीवर आदेद्दा को निरस्त करते हुए प्रतिभूति राद्दि पर अपीलाण्ट के कब्जे काद्दत में दिये जाने के आदेद्दा दिये जाने उचित हैं।

7. अतः अपील अपीलाण्ट आंद्दिाक स्वीकार की जाकर उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ़ का निर्णय दिनांक 26.05.2014 निरस्त किया जाता है एवं वादग्रस्त 23 बीघा भूमि मे रेस्पोडेण्ट के 1/3 हिस्से की भूमि को 7000/— सात हजार रूपये० प्रति बीघा प्रति वर्ष प्रतिभूति राद्दि जमा करवाने पर अपीलाण्ट को काद्दत करने की स्वीकृति के आदेद्दा दिये जाते है। अपीलाण्ट को इस वित्तीय वर्ष 2016—17 की प्रतिभूति राद्दि 15 दिसम्बर 2017 तक संबंधित तहसील कार्यालय में जमा कराने के आदेद्दा दिये जाते है। अधीनस्थ न्यायलाय मे विचाराधीन वाद के निर्णय तक प्रति वर्ष की राद्दि प्रत्येक वर्ष 31 मार्च तक जमा करावे। यदि अपीलाण्ट उक्त राद्दि जमा नही करवाता है तो प्रद्दनगत 23 बीघा भूमि मे रेस्पोडेण्ट के 1/3 हिस्सा भूमि रिसीवर अपने कब्जे में लेकर नीलामी की कार्यवाही करेगा। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित लौटाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार हो। नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 28.11.2017 को मेरे द्वारा लिखया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

हरभान मीणा आर.ए.एस.०
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ

डिग्री व सीगे अपील
न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़
बइजलास हरभान मीणा आर0ए0एस0

अपील संख्या –12/2016/223 आर टी ए

श्यामनारायण हर्ष पुत्र सत्यनारायण हर्ष जाति ब्राम्हण निवासी अम्बेडकर सर्किल बीकानेर।

–– अपीलांट

**बनाम**

सहोदरा पत्नी सत्यनारायण हर्ष जाति ब्राम्हण निवासी अम्बेडकर सर्किल बीकानेर तहसील व जिला बीकानेर। –रेस्पोण्ट्स

अपील सं. 12/2016/223 आरटीएक्ट व नाराजगी न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ़ निर्णय व डिग्री दिनांक 09.03.2016 प्र. सं. 355/15

आज यह अपील रूबरू हाजिर श्री रमेद्यादास पुरोहित अधिवक्ता अपीलांट की ओर से पेद्या होकर हुक्म हुआ है अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाति है एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर का अपीलाधीन निर्णय एवं डिग्री दिनांक 09.03.2016 निरस्त किया जाता है एवं वाद वादी डिग्री किया जाकर चक 2 एसएनएम प. नं. 123/273 किला नं. 5/4 में 0.017

है. किला नं. 6/2 में 0.084 है. कुल तादादी 0.101 है. का अपीलाण्ट/वादी श्यामनारायण हर्ष पुत्र सत्यनारायण हर्ष जाति ब्राम्हण को खातेदार काद्द्तकार घोषित किया जाता है तथा तीजा के स्थान पर वादी का नाम बतौर खातदार दर्ज करने का आदेद्दा दिया जाता है।ड्क्रिी मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख 04.05.2017 को जारी की गई।

हरभान मीणा०
आर.ए.एस.
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ